Result Mitra Daily Current Affairs

Topic-1

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) और इजराइल

- चर्चा में क्यों :– हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने अपने निर्णय में यरुशलम पर इजराइल के कब्जे को गैरकानूनी माना।
- ICJ ने इजराइल को यरुशलम की जमीन खाली करने के लिए भी कहा है।
- ICJ द्वारा दिए फैसले से इजराइल के लोग नाराज हो गए और उन्होंने फिलिस्तीनी बस्तियां जला दी।
- ICJ ने किन क्षेत्रों पर कब्जे को गैरकानूनी माना :– वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलम पर।

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने क्यों दिया निर्णय :–

- ICJ ने यह सुनवाई संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुरोध पर की
- ICJ और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फरवरी में एक सप्ताह का सत्र बुलाया था।

- सत्र का उद्देश्य :– 'इजराइली कब्जे पर' विभिन्न देशों की दलीलें सुनने के लिए
- इस सत्र में कई देशों ने 57 साल पुराने कब्जे को
- छोड़ने की इजराइल से अपील की।
- 15 में से 11 जजों ने इजराइल के खिलाफ फैसला सुनाया
- इसी सुनवाई पर ICJ के 15 जजों में से 11 जजों ने इजराइल के खिलाफ फैसला सुनाया।

कोर्ट ने क्या फैसला दिया :–

- 1.इजराइल जमीन खाली करे
- 2. मुआवजा देने की सलाह भी ICJ ने दी।
- इजराइल ने कब किया था कब्जा :– 1967 में अरब देशों को हराने के बाद
- किस क्षेत्रों पर :– वेस्ट बैंक, पूर्वी यरुशलम और गाजा पट्टी पर
- ICJ ने अपना निर्णय इन्हीं इलाकों के लिए दिया है।

ICJ ने और क्या कहा :–

- 1. इजराइल ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है
- 2. फिलिस्तीनियों के अधिकारों को छीना है
- 3.इजराइल अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। 4.इजराइल को इन इलाकों पर इतने सालों तक शासन के कारण फिलिस्तीनियों को मुआवजा देना चाहिए।

इजराइल में इस निर्णय के प्रति प्रतिक्रिया :–

- फैसले के बाद इजराइली लोग जिन्हें वेस्ट बैंक में बसाया गया है उनका गुस्सा भड़क गया।
- इन लोगों ने वेस्ट बैंक के नजदीक फिलिस्तीनी आबादी वाले बुरीन गांव में आग लगा दी।

Result Mitra TM

इसराइल के प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया :-

- 1.यरुशलम हमेशा से इजराइल की है
- 2.यहूदी लोगों ने फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा नहीं किया है।
- 3.वे जिस जमीन पर रह रहे हैं वो उनकी अपनी है।
- 4. यरुशलम कब्जाई जमीन नहीं है बल्कि, इजराइल की राजधानी है।

क्या इसराइल इस निर्णय को मानने के लिए बाध्य है :–

- रॉयटर्स के अनुसार ICJ द्वारा दिया गया फैसला सिर्फ एक सलाह है।
- इजराइल इससे मानने के लिए बाध्य नहीं है न ही उसको मजबूर नहीं किया जा सकता है।

फिलिस्तीन की प्रतिक्रिया:–

- फिलिस्तीनी राजदूत रियाद मंसूर ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की और ICJ का शुक्रिया अदा किया।
- इजराइल में अन्य पार्टियों के बयान

Result Mitra

- सरकार में सहयोगी पार्टी के नेता इतमार बेन ग्विर :– इजराइल को इस फैसले के जवाब में वेस्ट बैंक के बाकी हिस्सों पर कब्जा कर लेना चाहिए।

- इजराइल के ऊर्जा मंत्री एली कोहेन :– ये हमारे पूर्वजों की जमीन है। हमने यहां पर आने के लिए 2000 सालों तक प्रार्थना की तब हमें ये जगह मिल पाई है। ICJ यहूदी विरोधी अदालत है। उसके फैसले से हम पर रत्ती भर असर नहीं पड़ेगा।

- एली कोहिन ने इजरायल की ग़ज़ा से 2005 की वापसी को एक बड़ी गलती बताया।

- उन्होंने कहा कि इजरायल वेस्ट बैंक को छोड़कर गलती नहीं दोहराएगा।

- नोट:– इजराइल ने 2005 में गाजा से अपना दावा छोड़ दिया था।

ओस्लो समझौता :–

- यह समझौता 1993 में हुआ इस समझौते के तहत वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में बाट दिया गया :–

- एक हिस्सा (A) पर फिलिस्तीन का शासन है। दूसरा (B) जिसे फिलिस्तीन और इजराइल मिलकर चलाते हैं। तीसरा (C) जिस पर इजराइल का कब्जा है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय:

- ICJ :– International Court of justice

- स्थापना :– 1945 में

- किसके द्वारा:– संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई
- काम करना शुरू :– अप्रैल 1946 में
- क्या है :– संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग
- कहां स्थित :– हेग (नीदरलैंड्स) के पीस पैलेस में
- संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख संस्थानों महासभा (जीए), सुरक्षा परिषद (एससी), आर्थिक और सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी), ट्रस्टीशिप परिषद , अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे), और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में एकमात्र संस्थान है जो हेग (नीदरलैंड्स) में स्थित है बाकी सभी न्यूयॉर्क में स्थित है।

कार्य :–

- 1. राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाना
- 2. संयुक्त राष्ट्र के अंगों तथा विशेष एजेंसियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह देना।
- वर्तमान में सदस्य देश 193।
- इसके वर्तमान अध्यक्ष Nawaf Salam हैं।

संरचना :–

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं
- कौन चुनता है :–; संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद
- कितने समय के लिए :– नौ वर्ष के के लिये।
- इसकी आधिकारिक भाषाएँ :– अंग्रेज़ी और फ्रेंच।
- न्यायालय के 15 न्यायाधीश निम्नलिखित क्षेत्रों से चुना जाता है ;–
- अफ्रीका से तीन
- लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों से दो
- एशिया से तीन
- पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से पाँच
- 5.पूर्वी यूरोप से दो

ICJ में भारतीय न्यायाधीश :–

- सर बेनेगल राव: 1952-1953
- नागेंद्र सिंह: 1973-1988
- रघुनंदन स्वरूप पाठक: 1989-1991
- दलवीर भंडारी: 27 अप्रैल, 2012 से न्यायालय के सदस्य

TM Result Mitra

Topic-2

UPSC Chairperson Manoj Soni resigns five years before term ends

- Mr. Soni, joined UPSC Commission in 2017 as a Member।
- May 16, 2023 he sworn-in as the Chairperson of UPSC.
- his tenure ends in 2029
- अनुच्छेद 312 (Article 312) :– यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि संघ और राज्यों के लिये एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है।
- भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी के रूप में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) कार्य करता है।
- संविधान में उल्लेख :– भाग 14 / अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के
- अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक आयोग की संरचना, इसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन तथा संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों के साथ ही कार्यों का उल्लेख किया गया हैं।

संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 315: संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग।
- अनुच्छेद 316: UPSC और SPSC के सदस्यों का कार्यकाल और नियुक्ति।
- अनुच्छेद 317: आयोग के सदस्यों को हटाना और निलंबित करना।
- अनुच्छेद 318: सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें।
- अनुच्छेद 319: आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रह जाने पर पद धारण करने का प्रतिषेध।
- अनुच्छेद 320: आयोगों के कार्यों का वर्णन।
- अनुच्छेद 321: आयोगों के कार्यों को विस्तार करने की संसद की शक्ति।
- अनुच्छेद 322: आयोगों के व्यय।
- अनुच्छेद 323: लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट।

संघ लोक सेवा आयोग

- नियुक्ति: UPSC अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते है।
- कार्यालय: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक।
- पुनर्नियुक्ति: पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं।
- त्यागपत्र: राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र।
- सदस्यों का निष्कासन/निलंबन: अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के आदेश से ही उसके पद से हटाया जाएगा।

पदच्युत:

- दिवालिया घोषित किया गया है।
- कार्य करने की असक्षमता के आधार पर

Result Mitra TM

- कार्यकाल के दौरान कार्यालय के बाहर किसी भी भुगतान वाले रोजगार में संलग्न होने पर है।
- मानसिक या शरीर की दुर्बलता के कारण अयोग्य।

Topic-3

चांदीपुरा वायरस

- चर्चा में क्यों : हाल ही में, अरावली जिले (गुजरात) में चांदीपुरा में एक वायरस के कारण छह बच्चों की मौत हो गई।
- वायरस का नाम :– चांदीपुर वायरस
- वायरस का प्रकार :– आरएनए वायरस।
- किस परिवार से संबंधित :– रैबडोविरिडे से
- रेबीज वायरस भी रैबडोविरिडे परिवार से सम्बंधित है।
- वायरस से अधिक प्रभावित कौन :– मुख्य रूप से बच्चे
- संचरण: संक्रमित सैंडफ्लाई (जीनस फ्लेबोटोमस) के काटने से।

- लक्षण: उल्टी, दस्त, बुखार और सिरदर्द।
- उपचार: कोई विशिष्ट एंटीवायरल टीका उपलब्ध नहीं।
- यह वायरस सबसे पहले 1965 में महाराष्ट्र में पाया गया था।

Result Mitra